न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 277/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. किताबो पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी डाबड़ी।
2. प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा डाबड़ी।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : पेरोकार राज **: वादी**

वकील संदीप गोदारा **: प्रतिवादी सं0 2**

निर्णय **दिनांक :** 14.5.18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रतनपुरा के खाता सं0 12 के खसरा सं0 171 की कुल 1.2650 है0 भूमि वर्तमान में किताबो देवी पत्नी बनवारी लाल जाति जाट साकिन भादरा के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा (चिमनी) लगाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है। वर्तमान में ईन्ट भट्टा बंद है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। प्रतिवादी द्वारा खसर सं0 171 की कुल 1.2650 है0 भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। विवादित कृषि भूमि को खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील हो चुकी है, प्रतिवादी सं0 1 को बार बार आवाज लगाई गई न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आया। इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 2 की जबाबदेही बन्द की गई।

साक्ष्य वादी में संदीप चौधरी पुत्र श्री आरएस चौधरी जाति जाट हाल तहसीलदार भादरा का शपथ पत्र पेश है। दस्तावेजी साक्ष्य में हल्का पटवारी

रिपोर्ट, नजरी नक्शा, चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम रतनपुरा के खाता सं0 12/13 सम्वत् 2072–75 पेश किये।

बहस पेरोकार राज की ओर से सुनी गई। पेरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा वाद भूमि को ईन्ट भट्टे के उपयोग में लिया जा रहा है। कृषि भूमि में ईंट भट्टे का निर्माण होने से कृषि उपज नष्ट हो गई है तथा भूमि की किस्म बदल दी गई है। कृषि भूमि को कृषि कार्य से भिन्न उपयोग के लिए विधि के अनुसार सरकार द्वारा नियम बनाये गये है। कृषि भूमि को अकृषि उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन नियम 2007) वर्तमान में विद्यमान है लेकिन खातेदार कृषक द्वारा विधि के विरूद्ध ईंट भट्टे का निर्माण किया गया है जो गैर कानूनी है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाए फरिकेन उपस्थित बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। वादी यह साबित करने में सफल रहा है कि प्रतिवादी द्वारा वादभूमि पर ईंट भट्टा का बिना विधिक स्वीकृति, आदेश, रूपान्तरण के संचालन कर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के धारा 177 के अनुसरण में बेदखली का दायी है। सम्पूर्ण वाद भूमि जिस पर तहसीलदार भादरा द्वारा अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम वाद दायर किया गया, उस पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) शाखा डाबडी द्वारा ऋण दिया गया है। वादभूमि बैंक के राहिन है। पत्रावली पर वादी व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह तथ्य न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं हो पाया कि वादभूमि बैंक के पक्ष में कब राहिन की गई। हस्तगत प्रकरण में वादभूमि के सम्बन्ध में वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादिया सं0 1 साबित है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाद भूमि ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का डाबडी के जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं0 12/13 खसरा सं0 171 की 1.2650 है0 कृषि भूमि को रकबा राज घोषित किया जाता है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करें व प्रतिवादिया किताबो उर्फ किताबीदेवी पत्नि बनवारीलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार को वादभूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार ले। प्रतिवादी सं0 2 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह ऋण वसूली के लिए सक्षम न्यायालय में नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही संस्थित करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 277/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. किताबो पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी डाबड़ी।
2. प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा डाबड़ी।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वादी पक्ष पेरोकार राज एवं वकील प्रतिवादी सं0 2 संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाद भूमि ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का डाबडी के जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता सं0 12/13 खसरा सं0 171 की 1.2650 है0 कृषि भूमि को रकबा राज घोषित किया जाता है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करें व प्रतिवादिया किताबो उर्फ किताबीदेवी पत्नि बनवारीलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार को वादभूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार ले। प्रतिवादी सं0 2 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह ऋण वसूली के लिए सक्षम न्यायालय में नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही संस्थित करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ